सं. ई-11011/1/2020-हिन्दी/ 1543

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन,
आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 29 नवंबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 28.10.2021 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिणी दिल्ली-2) की बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में, दिनांक 28.10.2021 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ., संयुक्त सचिव तथा उप निदेशक (रा.भा.) ने भाग लिया जिसके कार्यवृत्त की निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

1. कार्यालय की वेबसाइट, सोशल मीडिया मंचों को पूर्णतः द्विभाषी एवं अद्यतन कराते रहा जाय ।
2. हिन्दी में काम काज बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग के ऑनलाइन हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाया जाए।
3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम-5 का पूर्णतः पालन किया जाए।
4. वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाए।

के.ज.आ. के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि नराकास बैठक के उक्त कार्यवृत्त के अनुपालन हेतु अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से इस अनुभाग को अवगत कराया जाए।

भवदीया

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011-29583720

सभी अनुभाग/निदेशालय, के.ज.आ.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष,के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
2. सदस्य, नदी प्रबंध/अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजना एवं परियोजना के निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव।
4. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
5. सचिव, के.ज.आ. के निजी सचिव
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास, दक्षिणी दिल्ली-2